

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 14-3-16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 697-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 06-2-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 213/अ-21/14-15.

सुमरन भूमियां पिता स्व. सुखू भूमियां
निवासी ग्राम बंदरकोला, पो. सगड़ाझपनी
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

----- अनावेदक

14-3-16

प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 213/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 06-2-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम खुरसी र. ह.नं. 47/61 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 229/1 रकबा 1.560 हेक्टर में से 0.360 हेक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि पैत्रिक भूमि है। अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से अपीलार्थी को इस आधार पर

R

M

R 697, 7/16 (Slams)

सुमरन भूमियां विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा बीमारी के इलाज हेतु और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय की अनुमति चाही गई है जो अनुत्पादक कार्य है और समाधान कारण कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है आवेदित भूमि प्रधानमंत्री सड़क से लगी हुई है जिसकी कीमत भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक बढ़ेगी। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित हो अथवा भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-10-14 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-2-16 निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलार्थी को उनके भूमि स्वामित्व की ग्राम खुरसी प.ह.नं. 47/61 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 229/1 रकबा 1.560 हैक्टर में से 0.360 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान</p>	

R
12




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 697-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । <p>अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है ।</p> <div style="text-align: center;">  (एम0के0 सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर </div>	